न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/93/2021	2021/175	21.05.2021	05.10.2021

1.सुरेश कुमार जाट पुत्र श्री कजोडीमल जाट, जाति जाट, निवासी उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग, पॉस कोड 25153, टोडा नागर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर

—अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर।

— रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 05.05.2021 जिला रसद अधिकारी, अलवर बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 1548/12 प्रकरण संख्या 107/2019

उपस्थितः—

01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलान्ट
02. श्री विभागीय पैरोकार —रैस्पोडेन्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 05.05.2021 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1548/12 निरस्त करने के आदेश दिये गये है से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर्ड की जाकर रैस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अपीलान्ट के विरूद्व प्रवर्तन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 23.07.2019 के आधार पर विभागीय प्रकरण दर्ज किया गया दिनांक 30.07.2019 को तारीख पेशी नियत थी। अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नही किये गये। दिनांक 06.09.2019 को पुनः जांच रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु आदेशिका में डीलर की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। दिनांक 06.019.2019 को ही अपीलान्ट के विरूद्व कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जो मिन अपीलान्ट को प्राप्त नही हुआ दिनांक 25.11.2019 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। पुनः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2019 व 25.07.2019 की जांच रिपोर्ट के आधार पर 15.05.2020 को पुनः प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। उक्त निलम्बन का अंकन आदेशिका में नही किया गया ना ही दिनांक 15.05.2020 की कोई आदेशिका लिखी गई। दिनांक 04.03.2021 को प्राधिकार पत्र पुनः बहाल कर दिया गया। जिसकी आदेशिका भी नही लिखी गई। दिनांक 04.3.2021 के बाद अपीलान्ट को कोई कारण बताओं नोटिस जारी नही किया गया। नोटिस दिनांक 06.11.2019 का जवाब दिनांक 03.05.2021 को पेश कर दिया गया था जिसके उपरान्त बिना जांच किये मनमाने तरीके से दिनांक 05.05.2021 को प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। ग्राम पंचायत टोडा नागर के सरपंच द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में प्राधिकार पत्र बहाल करने की अभिषंशा की गई प्रवर्तन अधिकारी लक्ष्मणगढ़ श्रीमती सूरज बाई मीणा, उचित मूल्य दुकानदार 1/2 भाग ग्राम पंचायत टोडा नागर मदल लाल मीणा की रिश्तेदार है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा गलत जांच रिपोर्ट तैयार कर प्राधिकार पत्र निलंबित करवाकर 1/2 भाग रिश्तेदार को अटेचमेन्ट करवाया है। दिनांक 03.05.2021 को अपीलान्ट द्वारा जवाब पेश करते समय कमीशन राशि की मांग की गई जिससे दुरभावना पूर्वक प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। जिला रसद अधिकारी, अलवर ने निर्णय दिनांक 05.05.2021 मं अपीलान्ट के विरूद्व खाद्यान्न का गबन माना है। जबकी पोस मशीन में उपभोक्ता के फिंगर लगाकर या उपभोक्ता के दर्ज मोबाईल नं0 पर प्राप्त ओ.टी.पी न0 को पॉस मशीन में दर्ज करने के उपरान्त ही राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। वर्ष 2012 से मिन अपीलान्ट के विरूद्व कोई शिकायत नहीं रही है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई जांच दिनांक 23.07.2019 को किसी भी उपभोक्ता ने अपीलान्ट के विरूद्व कोई शिकायत नही की थी तथा स्टॉक भी पूरा था। निर्णय दिनांक 05.05.2021 में अपीलान्ट के विरूद्व कोई राशन सामग्री का गबन नही माना है, तो एफ.आई.आर. रिपोर्ट दर्ज किये जाने के जो आदेश दिये वो निरस्तनीय है। जांच रिपोर्ट दिनांक 23.07.2019 व 25.07.2019 में गैंहू का स्टॉक जानबूजकर कम दिखाया गया था, जबकिे मौके पर स्टॉक पूरा था। चीनी व केरोसीन का स्टॉक निल था इसके बावजूद प्रर्वतन अधिकारी ने प्रकरण बनाने की मंशा से चीनी, केरोसीन का स्टॉक कम होना दर्ज किया। वर्तमान में अपीलान्ट के पास स्टॉक में 290.72 कि0 गैहू मौजूद है। यदि प्राधिकार पत्र को बहाल नही किया गया, तो गैंहू के खराब होने का अदेंशा है।

जिला कलक्टर, अलवर

प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है की किसी भी पक्षकार के खिलाफ आदेश या फैसला लेने से पूर्व समूचित सुनवाई, जवाब एवं साक्षय का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नही दिया गया। अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलान्ट के समक्ष रोजी–रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। अपीलान्ट के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिये है, यदि एफ.आई.आर.दर्ज हो जाती है तो अपीलान्ट की अपील सारहीन हो जाएगी तथा बेवजह से अपीलान्ट के विरूद्व फौजदारी प्रकरण विचाराधीन हो जायेगा।

अतः अपील स्वीकार कर जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 107/2019 सरकार बनाम सुरेश जाट में पारित निर्णय दिनांक 05.05.2021 निरस्त फरमावा जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों का अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रवर्तन अधिकारी की जांच रिपोर्ट में उचित मुल्य दुकानदार सुरेश कुमार जाट पॉस कोड नं0 25153 उचित मुल्य दुकानदार टोडा नागर द्वारा 007958500147, 106601900414, 20000226510 अन्य सीरीज के 100 राशन कार्डो पर 2.07.2019 को वितरण किया राशन कार्डो की ऑनलाईन जांच करने पर राशन कार्ड तहसील शाहपुरा जयपुर एवं दौसा जिले के राशन कार्डो को बाईपास करवाकर गैहू का फर्जी ट्रान्जेकशन कर गबन करना पाया गया। अपीलान्ट द्वारा पॉस मशीन को जानबूझकर अनाधिकृत व्यक्ति श्री ओमप्रकाश सैनी निवासी नारायणपुर तहसील बसवा, जिला दौसा को तकनिकी खराबी ठीक करने के बहाने दी गई थी। इस अवधि में ही बाईपास सुविधा का उपयोग कर राशन कार्डो से राशन सामग्री का उठाव किया गया, जो कालाबाजारी की श्रैणी में आता है। वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन में गैंहू 131.58 क्वि0 एवं चीनी 3.99 क्वि0 तथा केरोसीन 4544.5 ली0 कम पाई गई थी। अप्रार्थी द्वारा जवाब में कोई साक्ष्य सबूत आदि पेश नहीं किये गये। अपीलान्ट तारीख पेशी से सूचित होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क यह उठाया है कि जिला रसद अधिकारी ने बिना जांच किये अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना साक्ष्य का मौका दिये एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया गया है। प्रर्वतन अधिकारी की जांच दिनांक 23.07.2019 के आधार पर यह प्रकरण दर्ज कर तारीख 30.07.2019 दी गई। अपीलान्ट को नोटिस जारी नही किया गया। दिनांक 06.09.2019 को पुनः जांच हेतु लाईसेन्स निलम्बित कर कारण बताओं नोटिस दिया गया जो अपीलान्ट को प्राप्त नही हुआ दिनांक 25.11.2019 को अपीलान्ट को बहाल कर दिया गया। दिनांक 23.07.2019 व 25..07.2019 की जांच के आधार पर दिनांक 15.05.2020 को अपीलान्ट को पुनः निलम्बित किया गया। जिसका अंकन आदेशिका में नही है। दिनांक 04.013.2019 को अपीलान्ट को पुनः बहाल किया जिसका भी कारण बताओं नोटिस नही दिया गया। नोटिस दिनांक 06.11.2019 को जवाब दिनांक 03.05.2021 को पेश कर दिया गया था। उसके बावजूद मनमाने तरीके से 05.05.2021 को लाईसेन्स निलम्बित कर दिया गया। अपीलान्ट वकील द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को नोटिस क्रमांक 19079 दिनांक 06.11.2019 जारी किया गया था। जिसका जवाब प्रार्थी द्वारा लगभग 1 वर्ष 6 माह बाद काफी विलम्ब से जवाब प्रस्तुत किया गया। उचित मुल्य दुकानदार द्वारा पॉस कोड नं0 25153 द्वारा 007958500147, 106601900414, 20000226510 व अन्य सीरीज के 100 राशन कार्डो पर दिनांक 02.07.2019 को वितरण करना, राशन कार्डो की ऑनलाईन जांच करने पर राशन कार्ड तहसील शाहपुरा – जयपुर व दौसा जिले के राशन कार्डो को बाईपास करवाकर गैंहू का फर्जी ट्राजेक्शन करना, अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को संतोषप्रद जवाब/दस्तावेजात प्रस्तुत नही करना, पॉस मशीन को अनाधिकृत व्यक्ति श्री ओमप्रकाश सैनी, निवासी नारायणपुर तहसील बसवा, जिला दौसा को दिया जाना तथा उक्त अवधि में बाईपास की सुविधा के उपयोग से राशन सामग्री का उठाव व वितरण करना, वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन में गैंहू 131.58 क्वि0 एवं चीनी 3.99 क्वि0 तथा केरोसीन 4544.5 ली0 कम पाया जाना गंभीर अनियमितता, गबन एवं कालाबाजारी की श्रैणी में आता है, जो राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक प्रदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश 05.05.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)